दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित: 01 अप्रैल, 2024
उद्घोषित: 7 मई, 2024

सि.वा.(मू.प.) 90/2017, अंतर.आ. 7070/2018, अंतर.आ. 7849/2018, अंतर.आ. 1299/2019

श्रीमती अमिता गंडोक
पत्नी श्री रविंदर सिंह गंडोक,
निवासी एम-77, ग्रेटर कैलाश भाग-1,
नई दिल्ली-110048।

..... वादी

द्वारा: श्री जय सहाय एंडलॉ और श्री करण कुमार, अधिवक्तागण

बनाम

1. **श्री हरकिरत सिंह सोढ़ी**
पुत्र स्वर्गीय सरदारनी सुरिंदर कौर सोढ़ी,
निवासी 210ए, गोल्फ लिंक,
नई दिल्ली-110003।

2. **श्री महेश इंद्र सिंह सोढ़ी**
निवासी ई-2, ईस्ट ऑफ़ कैलाश,
नई दिल्ली-110065।

.....प्रतिवादीगण

द्वारा: सुश्री नीलिमा त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री शंकर, श्री

शिवैन, श्री ललित और श्री रजत, अधिवक्तागण

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

<u>निर्णय</u>

<u>नीना बंसल कृष्ण, न्या.</u>

<u>अंतर.आ.6028/2017</u>

1. ***सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII नियम 11 सहपठित आदेश 12 नियम 6*** के तहत प्रतिवादीगण द्वारा वाद को ख़ारिज करने के लिए आवेदन दायर किया गया है।

2. प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत किया है कि वादी द्वारा पैतृक पारिवारिक संपत्ति के विभाजन के लिए दायर किया गया वाद पूरी तरह से *हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6* द्वारा वर्जित है।

3. इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में, वाद संपत्ति के संबंध में सि.प्र.सं., *1908 के आदेश XXIII नियम 3 के तहत* दिनांक 10.09.1985 का अंतिम समझौता सहमति डिक्री पहले ही *सिविल वाद सं. 1937/1984* शीर्षक *'श्री हरकीरत सिंह सोढ़ी बनाम हरमन सिंह सोढ़ी और अन्य'*, में पारित किया जा चुका है, जिसे प्रतिवादी सं.1 द्वारा अपने पिता और दादा-दादी के खिलाफ, *विभाजन और हिसाब देने* के लिए दायर किया गया था। प्रतिवादी सं.1 द्वारा

अपेक्षित स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया है और अंतिम समझौता डिक्री को विधिवत पारित/तैयार करने के साथ-साथ उस पर कार्रवाई भी की गई है। इसलिए, वादी किसी भी विभाजन की माँग नहीं कर सकता है जैसा कि वर्तमान वादपत्र के द्वारा माँगा गया है।

4. यह भी दावा किया गया है कि संपत्तियां प्रतिवादी सं.1 को दिनांक 10.09.1985 के समझौता डिक्री के अनुसार आवंटित की गई थीं और अब ये संपत्तियां विशेष रूप से प्रतिवादी सं.1 की हैं। अन्यथा भी, वाद संपत्ति वादी के सहदायिकी की नहीं होती है और चूंकि, प्रतिवादी सं.2, वादी के पिता और प्रतिवादी सं.1, जीवित हैं, इसलिए वादी पिता के जीवनकाल में संपत्तियों में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और इस प्रकार, वर्तमान वाद पोषणीय नहीं है।

5. वर्तमान वाद को *भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872* की धारा 115 के तहत परिभाषित *विबंध* के सिद्धांत पर भी वर्जित होने का दावा किया गया है। वादी को वाद संपत्ति के संबंध में प्रतिवादी सं.1 के अनन्य और पूर्ण स्वामित्व को चुनौती देने से विबंधित किया गया है क्योंकि वह प्रतिवादी सं.1 द्वारा शुरू किए गए *सिविल वाद सं.1937/1984* के बारे में पूरी तरह से अवगत थी। इसके अतिरिक्त, वह न केवल उक्त वाद में पक्षकारगण के बीच हुए समझौते के बारे में जानती थी, बल्कि समझौते को रिकॉर्ड पर लाने के उक्त सिविल वाद में सि.प्र.सं.1908 के *आदेश XXIII नियम 3 के तहत दायर* अंतर.आ.

सं.4606/1985, दिनांक 17.08.1985 वाले आवेदन पर हस्ताक्षरकर्ता भी थी। समझौता आवेदन का वादी/अमिता गंडोक के *शपथ-पत्र* द्वारा भी विधिवत समर्थन किया गया था, जो दर्शाता है कि वह न केवल वाद के बारे में जानती थी, बल्कि पक्षकारगण के बीच हुए समझौता के बारे में भी जानती थी। यह भी कहा गया है कि सहमति डिक्री पारिवारिक समझौते के ज्ञापन के रूप में थी, जिस पर पूरी तरह से कार्रवाई की गई है और इसे आगामी किसी भी कार्यवाही में बाधित नहीं किया जा सकता है।

6. यह वाद *सि.प्र.सं., 1908* के *आदेश XXIII नियम 3क* के तहत भी वर्जित है, क्योंकि पहले के विभाजन डिक्री को कोई चुनौती किसी भी स्वतंत्र वाद द्वारा नहीं दी जा सकती है जैसा कि वादी द्वारा किया गया है। सहमति डिक्री के खिलाफ कोई अपील पोषणीय नहीं है जो कि विशेष रूप से *सि.प्र.सं., 1908 की धारा 96(3)* के तहत वर्जित है। सहमति डिक्री से बचने के लिए, पक्षकार केवल उसी न्यायालय का रुख कर सकता था जिसने समझौता और डिक्री दर्ज किया है। इसे एक अलग वाद के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान वाद विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और किसी भी वाद हेतुक का खुलासा नहीं करता है। यह पूरी तरह से खारिज करने योग्य है।

7. इसके अलावा, दिनांक 10.09.1985 की विभाजन की अंतिम डिक्री पूर्व न्याय के सिद्धांतों पर भी बाध्यकारी है। पक्षकारगण के अधिकार दिनांक 10.09.1985 के सहमति डिक्री द्वारा स्पष्ट किए गए हैं और उन्हें 31 वर्षों के

बाद वर्तमान वाद के द्वारा फिर से नहीं खोला जा सकता है। वादी ने कथित अधिकारों, हकों की घोषणा के लिए कोई राहत नहीं माँगी थी और दिनांक 10.09.1985 के अंतिम विभाजन डिक्री को चुनौती दिए बिना, वर्तमान वाद पोषणीय नहीं है।

8. यह तर्क दिया गया कि वह उस संपत्ति के विभाजन की माँग नहीं कर सकती है जिसे दिनांक 10.09.1985 की अंतिम डिक्री के अनुसार प्रतिवादी सं.1 को विशेष रूप से और व्यक्तिगत रूप से आवंटित किया गया है। ऐसी कोई *हिंदू अविभक्त कुटुंब या हिंदू अविभक्त कुटुंब की संपत्ति* कभी मौजूद ही नहीं थी जिसके संबंध में वादी द्वारा विभाजन की माँग की जा सके। बल्कि, वादी द्वारा विभाजन का पहला वाद सं.1937/1984 स्वीकार किया गया है जो वादी पर पूरी तरह से बाध्यकारी हैं।

9. यह प्रतिवादी सं.2/श्री महेश इंदर सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया कि सभी संपत्ति और विशेष रूप से, ***वादपत्र के पैरा 1 के क्रमाँक*** *(ii) में उल्लिखित संपत्ति अर्थात ई-2 ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली क्षेत्रफल 500 वर्ग गज*, उसकी व्यक्तिगत/स्व-अर्जित संपत्ति है।

10. इसके अलावा, वादपत्र के ***पैरा 1 के क्रम सं.(ii), (vi)*** और ***(vii) की संपत्तियों*** के अधिकार कभी भी प्रतिवादी सं.1/ हरकीरत सिंह को हस्तांतरित नहीं किए गए थे और उन्हें इन संपत्तियों की स्थिति के बारे में पता नहीं है। ***क्रम सं.(iv)*** में उल्लिखित संपत्ति के संबंध में, प्रतिवादी सं.1/हरकीरत द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यह पैतृक

सम्पत्ति थी, जिसका स्वामित्व उनके दादा/श्री हरवतार सिंह सोढ़ी और उनके भाई/श्री हरभजन सिंह सोढ़ी के पास था। हवेली के विभाजन के बाद, *"हवेली अंदरूनी"* श्री हरवतार सिंह सोढ़ी के निधन के बाद उनके पिता/प्रतिवादी सं.2 के हिस्से में आई और प्रतिवादी सं.1 दिनांक 10.09.1985 की सहमति डिक्री के आधार पर इसका व्यक्तिगत और अनन्य मालिक बन गए। हालाँकि, संपत्ति का शेष हिस्सा, जिसमें हवेली, दुकानें और इमारतें शामिल हैं, प्रतिवादी सं. 1 को कभी नहीं दिया गया था और वर्तमान में स्वर्गीय हरवतार सिंह सोढ़ी के वर्ग 1 के उत्तराधिकारियों यानी प्रतिवादी सं.2/ श्री महीश इंदर सिंह के साथ-साथ स्वर्गीय हरभजन सिंह सोढ़ी के वर्ग 1 के उत्तराधिकारियों यानी उनके दो बेटों एच.एम.जे. (सेवानिवृत्त) आर.एस. सोढ़ी और श्री विक्रम नाथ सोढ़ी और उनकी विधवा श्रीमती परमिंदर कौर सोढ़ी के संयुक्त स्वामित्व में है। हालांकि, स्वर्गीय हरभजन सिंह सोढ़ी के वर्ग 1 के उत्तराधिकारियों यानी उनके बेटों और पत्नी में से किसी को भी वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है, इस प्रकार, यह वाद *पक्षकारगण के असंयोजन/कुसंयोजन* के लिए भी दोषपूर्ण है।

11. प्रतिवादी ने आगे जोर देकर कहा है कि वादी किसी भी वाद संपत्ति का निश्चित रूप से सहस्वामी नहीं है और उसे किसी भी विभाजन की माँग करने का कोई अधिकार नहीं है जो केवल सहस्वामी को उपलब्ध है। *बेनामी संपत्ति लेनदेन प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (अद्यतन संशोधित)* के तहत वाद वर्जित है।

12. इसके अतिरिक्त, वाद *परिसीमा द्वारा भी वर्जित* है। वादी का कभी भी वाद संपत्ति के किसी भी हिस्से पर कब्ज़ा, नियंत्रण, या उपयोग में नहीं था। वादी कम से कम 10.09.1985 से आज तक जानकारी और सहमति/स्वीकृति से पूरी तरह से बेदखल है। वर्तमान वाद दिनांक 21.02.2017 का है जो समय-सीमा द्वारा पूरी तरह से वर्जित है और *परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 3* के तहत खारिज करने योग्य है।

13. यह दावा किया गया है कि वादी का वाद संपत्ति में कभी कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं था और उसे भौतिक कब्जे से पूरी तरह से बेदखल कर दिया गया है। इसके अलावा, वादी ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि उसे वाद संपत्तियों से मिलने वाले किराए का कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है। इसलिए, वादी ने वाद संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व/सह-स्वामित्व के किसी भी अधिकार का कभी प्रयोग नहीं किया और वाद खारिज होने योग्य है।

14. यह दावा किया गया कि वादी का सभी संपत्तियों पर कब्ज़ा नहीं होने के कारण, वर्तमान वाद में वह मूल्यनुसार न्यायालय फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। चूंकि अपेक्षित न्यायालय फीस का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए वाद खारिज होने योग्य है।

15. इसके अलावा, वादी ने सं. ई-2, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली स्थित संपत्ति का मूल्य केवल 1 करोड़ रुपये आंका है। यह संपत्ति सर्किल दरों के अनुसार 'सी' श्रेणी में आती है, जो 1,59,840/- रुपये प्रति वर्ग मीटर है। इसके

अलावा, यह एक वाणिज्यिक संपत्ति है जहां एक होटल/गेस्ट हाउस चलाया जा रहा है और आवासीय संपत्तियों के लिए भूमि की दरों की तुलना में इसकी भूमि की दरें तीन गुना होंगी। वाद संपत्ति का मूल्य 21,91,50,396/- रूपये से कम नहीं है और संपत्ति का मूल्यांकन प्रचलित बाजार दर के अनुसार नहीं किया गया है और इस आधार पर भी वाद खारिज होने योग्य है।

16. प्रतिवादी ने आगे दावा किया है कि वाद *सि.प्र.सं., 1908 के आदेश II नियम 2* द्वारा वर्जित है। वादी ने *वसीयती वाद सं.42/2014* में वर्तमान वाद में बताए गए दावे कभी नहीं किए थे और इसलिए वाद वर्जित है।

17. इस प्रकार, प्रतिवादीगण ने उपरोक्त आधारों पर विभाजन के वाद को खारिज करने की माँग की है। प्रस्तुत तर्कों को पुष्ट करने के लिए, प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने *दहिबेन बनाम अरविंदई कल्याणजी भानुशाली (गजरा)*, (2020) 7 एस.सी.सी. 366; *टी. अरिवंदम बनाम टी.वी. सत्यपाल* (1977) 4 एस.सी.सी. 467; *सागर गंभीर बनाम सुखदेव सिंह गंभीर* (2017) 162 डी.आर.जे. 575; *रेणु खुल्लर बनाम आरों उर्फ़ अरुण भंडारी और अन्य* (2018) 170 डी.आर.जे. 268; सी.एस. *रामास्वामी बनाम वी.के. सेंथिल और अन्य* 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1330; *सरजीत सिंह आवला बनाम कुलदीप सिंह आवला* (2015) डी.एल.टी. (सी.एन.ए.) 13; *सरिता दुआ बनाम गौतम देव सूद और अन्य*, नि.प्र.या. (मू.प.) 27/2022, दिनांक 04.07.2023; *सोपान सुखदेव साबले बनाम सहायक पुर्त आयुक्त* 2004 (3) एस.सी.सी. 137;

एन. कस्तूरी बनाम डी. पोन्नम्मल (1961) 3 एस.सी.आर. 955; *ओम प्रकाश अरोड़ा बनाम मीनाक्षी सरदाना* (2022) एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल्. 2234; *हरदीप सिंह बनाम बलदेव सिंह और अन्य* सि.वि. (मु.) सं.476/2013, दिनांक 01.12.2014; *चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी बनाम पोन्नियम्मन एजुकेशनल ट्रस्ट* (2012) 8 एस.सी.सी. 706; *टी. अरिवंदम बनाम टी.वी. सत्यपाल और अन्य* (1977) 4 एस.सी.सी. 467; *राघवेंद्र शरण सिंह बनाम राम प्रसन्ना सिंह* ए.आई.आर. (2019) एस.सी. 1430; *जी.एम. सिंह (डॉ.) बनाम त्रिलोचन सिंह (डॉ.) अन्य* (2022) लॉपैक दिल्ली 89437; *रूप लाल साथी बनाम नछत्तर सिंह गिल* (1982) 3 एस.सी.सी. 487; *त्रिलोकी नाथ सिंह बनाम अनिरुद्ध सिंह* (2020) 6 एस.सी.सी. 629; *बायराम पेस्टनजी गरीवाला बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य* ए.आई.आर 1991 एस.सी.सी. 2234; *आर. जानकीम्मल बनाम एस.के. कुमारस्वामी* (2021) 9 एस.सी.सी. 114; *श्री सूर्या डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स बनाम एन. शैलेश प्रसाद* (2022) 5 एस.सी.सी. 736; *रंगनायकम्मा और अन्य बनाम के.एस. प्रकाश (मृतक) द्वारा वि.प्र. और अन्य* (2008) 15 एस.सी.सी. 673; और *सकीना सुल्तानाली सुनेसरा (मोमीन) और 3 अन्य बनाम शिया इमामी इस्माइली मोमीन जमात समाज और 3 अन्य* सी./ए.ओ./33/2017 निर्णय दिनांक 28/08/2019 पर भरोसा किए हैं।

18. ***वादी ने इस आवेदन का प्रतिवाद किया है*** और प्रस्तुत किया है कि वह विभाजन के वाद में पहले पक्षकार नहीं थी और इसलिए, उक्त मामले में पारित कोई भी सहमति डिक्री उस पर बाध्यकारी नहीं है। उन्होंने आगे दावा किया है कि समझौते पर उसके हस्ताक्षर, उक्त समझौते पर गवाह होने के बहाने गलत तरीके से लिए गए थे। उसने सद्भाव से आवेदन पर हस्ताक्षर की और यह वाद संपत्तियों में अपने हिस्से को छोड़ने के समान नहीं हो सकता है।

19. वादी ने तर्क दिया है कि अचल संपत्ति में कोई भी हित/हिस्सेदारी केवल रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज या रजिस्ट्रीकृत डिक्री द्वारा ही हस्तांतरित की जा सकती है। न तो कोई दस्तावेज़ निष्पादित किया गया है और न ही डिक्री रजिस्ट्रीकृत की गई है और इस प्रकार, मुकदमे में कोई भी निर्णय/समझौता जिसमें वह एक पक्षकार नहीं थी, उसके खिलाफ विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं ठहराया जा सकता है।

20. यह भी तर्क दिया गया है कि भले ही यह मान लिया जाय, हालांकि यह स्वीकार नहीं किया गया है, कि उसने वाद संपत्तियों में अपना हिस्सा सौंप दी थी/छोड़ दी थी, उस स्थिति में भी छोड़ देना उसके भाई और माँ के पक्ष में था। वादी माँ के हिस्से में से 50 प्रतिशत हिस्से की हकदार हो गई है और वह वाद संपत्ति के संबंध में विभाजन का दावा करने की हकदार है।

21. वादी ने यह भी तर्क दिया है कि माँ श्रीमती सुरिंदर कौर की दिनांक 13.01.1987 की वसीयत, जिसे प्रतिवादी सं.1 द्वारा पेश किया गया है, को

दिनांक 05.06.2004 के प्रतिसंहरण विलेख के द्वारा प्रतिसंहृत कर दिया गया था, हालांकि रजिस्ट्रीकृत प्रतिसंहरण विलेख का पता उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में नहीं चल पाया है, जिसके लिए वादी पहले ही शिकायत कर चुका है और *आप.पु. सं.13/2016* में दिनांक 21.01.2017 को विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के द्वारा, सी.बी.आई. को उस दस्तावेज़ के गायब होने की जाँच के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। दिनांक 13.01.1987 के वसीयत के संबंध में वसीयती *वाद सं.38/2014* विचाराधीन है और दिनांक 05.06.2004 के प्रतिसंहरण विलेख *के द्वारा* प्रतिसंहृत किए जाने के कारण वसीयत के संबंध में कोई प्रोबेट दिए जाने की संभावना नहीं है।

22. इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वादपत्र वाद हेतुक का खुलासा करती है और आवेदन गुणागुण रहित है और अस्वीकार किए जाने योग्य है। अभिवचनों के समर्थन में वादी के विद्वान अभिवक्ता ने *शोभा जॉली बनाम सूरज एस. जे. बहादुर* (2013) एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल्. 4106; *आत्मा सिंह और अन्य बनाम वी. प्रेम सिंघा और अन्य* (2022) एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल्. 2563; और *कृष्ण गुप्ता और अन्य बनाम राजिंदर नाथ एंड कंपनी एच.यू.एफ. और अन्य* 2013 (134) डी.आर.जे. 246 पर भरोसा किया है।

23. **दोनों पक्षकारगण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियां सुनी गई और रिकॉर्ड की गई तथा उनके द्वारा विश्वास किए गए निर्णयों का अवलोकन किया गया।**

24. निस्संदेह, वाद संपत्तियां पैतृक पारिवारिक संपत्तियां हैं, जिस पर मूल स्वामित्व श्री हरभजन सिंह सोढ़ी और उनकी पत्नी श्रीमती कुलदीप कौर सोढ़ी का है, जो वादी और प्रतिवादी सं.1 के दादा-दादी हैं। श्री हरभजन सिंह सोढ़ी और श्रीमती कुलदीप कौर का एक बेटा था, श्री महेश इंदर सिंह सोढ़ी/प्रतिवादी सं.2 श्री महेश इंदर सिंह सोढ़ी का विवाह श्रीमती सुरिंदर कौर से हुआ था, उनके दो बच्चे थे, वादी/बेटी और श्री हरकीरत, प्रतिवादी सं.1/बेटा।

25. वादी ने दावा किया कि वाद संपत्ति पैतृक पारिवारिक संपत्ति है जो दादा से हस्तांतरित की गई है और इस प्रकार, वह पैतृक संपत्ति में हिस्से की हकदार है।

26. इसके अलावा, पैतृक दादा (दादा) से विरासत में मिली इन संपत्तियों के अलावा, उसके पास अपने नाना से भी कुछ संपत्तियां हैं, अर्थात, अचल संपत्ति सं.*210-ए, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली, क्षेत्रफल 376.90 वर्ग मीटर* और अन्य चल संपत्तियां, जिसके संबंध में प्रतिवादी सं.1 द्वारा वसीयती वाद सं.38/2014 और वादी द्वारा वसीयती वाद सं.42/2014 दायर किया गया है, जो इस न्यायालय में न्यायनिर्णयन के लिए लंबित हैं। *वादी ने वर्तमान वाद में मातृ पक्ष की संपत्तियों को शामिल नहीं किया है जो केवल पितृ पक्ष से विरासत में मिली संपत्तियों तक ही सीमित है।*

27. श्रीमती सुरिंदर कौर वादी की माँ की मृत्यु 31.12.2013 को हो गई जबकि उसके पिता यानी प्रतिवादी सं.2/श्री महेश इंदर सिंह अभी भी जीवित हैं।

28. वादी ने स्वीकार किया है कि वर्ष 1984 में किसी समय, प्रतिवादी सं.1/हरकीरत ने पैतृक सम्पत्तियों का बंटवारा और 1/9 हिस्सा का दावा करने के लिए अपने पिता और दादा-दादी के विरुद्ध *बंटवारे और हिसाब देने के लिए वाद सं.1937/1984* दायर किया था। वादी, एक हितबद्ध पक्षकार होने के बावजूद, को उक्त वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया था। श्रीमती वादी की माँ सुरिंदर कौर ने उपरोक्त वाद में एक लिखित बयान दायर किया था और स्वीकार किया था कि वादी/अमिता का भी वाद संपत्तियों में हिस्सा था या कम से कम वह अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर विवाह से पहले खर्च की गई राशि के बराबर मुआवजा पाने की हकदार थी।

29. हालाँकि, प्रतिवादी सं.1/हरकीरत ने स्वीकार किया था कि उस विभाजन वाद की विषय-वस्तु पारिवारिक संपत्तियाँ थीं और वादी/अमिता का संपत्तियों में हिस्सा था, लेकिन उसने वादी/अमिता को अपने बेईमान इरादों के कारण पक्षकार नहीं बनाया और उसे वाद का प्रतिवाद करने से रोका। हालांकि, उनकी माँ के लिखित बयान में इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि वादी का उन वाद संपत्तियों में वैध हिस्सा था।

30. यह भी दावा किया गया है कि वादी के भाई प्रतिवादी सं.1/हरकीरत ने अपने माता-पिता और दादा-दादी के साथ कपटपूर्ण समझौता किया था और सि.प्र.सं., *1908 के आदेश XXIII नियम 3* के तहत *अंतर.आ. सं.4606/1985* आवेदन दायर किया था और समझौते के अनुसार दिनांक 10.09.1985 को सहमति डिक्री पारित किया गया था, जिसके तहत संपत्तियों को वाद के पक्षकारगण के बीच विभाजित किया गया था। कुछ संपत्तियाँ प्रतिवादी सं.1 और उनकी माँ श्रीमती सुरिंदर कौर के हिस्से में आईं। उक्त समझौते में आगे यह दर्ज किया गया है कि प्रतिवादी सं.1 की बहन, वादी/ अमिता गंडोक ने वाद संपत्तियों से उत्तराधिकारी के तौर पर अपने सभी अधिकार, स्वामित्व और हित को छोड़ दिया है। वादी ने स्वीकार किया है कि उसने उक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन जोर देकर कहा कि उसके हस्ताक्षर आवेदन के अंतिम पृष्ठ पर धोखे और गलत तरीके से लिए गए थे, यह कहकर कि उसके हस्ताक्षर गवाह होने के लिए आवश्यक हैं। हालाँकि, वादी द्वारा सही तथ्यों को *वसीयती वाद स.38/2014* में जल्द से जल्द प्रस्तुत किया गया है।

31. वादी ने दावा किया कि वह वाद संपत्तियों की सह-स्वामी है जैसा कि उसकी माँ ने पहले के वाद में दायर अपने लिखित बयान में भी स्वीकार की है। जब तक माँ जीवित थी, तब तक पक्षकारगण के नामों पर संपत्तियों के नामांतरण की परवाह किए बिना वाद संपत्तियों के सह-स्वामित्व के बारे में कोई विवाद नहीं था।

32. वादी ने आगे स्पष्ट किया है कि उसकी माँ श्रीमती सुरिंदर कौर पर प्रतिवादी सं.1 द्वारा गोल्फ लिंक्स संपत्ति के संबंध में दिनांक 13.01.1987 को वसीयत करने के लिए दबाव डाला गया था, जिसे प्रतिवादी सं.1 को दे दिया गया था, लेकिन उक्त वसीयत को प्रतिसंहृत कर दिया गया और माँ की उक्त वसीयत के संबंध में वसीयती वाद लंबित है।

33. वादी ऊपर उल्लिखित संपत्तियों की सह-मालिक है और उसके साथ उसके भाई/प्रतिवादी सं.1, पिता/प्रतिवादी सं.2 और माँ, प्रत्येक की संपत्तियों में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। वादी ने दावा किया है कि उसकी माँ की मृत्यु के बाद, वह अपनी माँ के 25 प्रतिशत हिस्से के 50 प्रतिशत हिस्से की हकदार बन गई है और इस प्रकार वह कुल 37.5% हिस्से की हकदार है और इस प्रकार, वाद संपत्तियों की माप और सीमाँकन करके विभाजन का वाद कर रही है।

34. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ***वादपत्र की मूल बात,*** जो अभिवचनों से निकलती है, वह यह है कि वर्तमान वाद पैतृक पारिवारिक संपत्तियों से संबंधित है, जिनकी गणना निम्नानुसार की गई हैः

(i) संपत्ति सं. एन-8, ग्रेटर कैलाश भाग-1, नई दिल्ली-110048, क्षेत्रफल 200 वर्ग गज है।

(ii) संपत्ति सं. ई-2, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065, क्षेत्रफल 500 वर्ग गज है।

(iii) संपत्ति सं. ए-22, नेब सराय, नेब वैली, नई दिल्ली-110068, जिसे प्रतिवादी स. 1 ने पंची गुजरा, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत (हरियाणा) में 16 एकड़, 1 बीघा 5 बिस्वा, जो खतौनी सं. 197(56/1, 56/10, 56/11) खतौनी सं. 793(56/17, 70/4, 71/1), खतौनी सं. 1056(57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/14, 57/15, 57/16, 57/24, 57/25), खतौनी सं. 1000(56/20, 56/21, 70/5, 70/3) के अंतर्गत आती है, उस भूमि की विक्रय आगम से खरीदा है।

(iv) आनंदपुर साहिब में संपत्ति (हवेली, दुकानें, इमारत)

(v) आनंदपुर साहिब में भूखंड

(vi) लोधीपुर, आनंदपुर, चक में कृषि भूमि

(vii) आनंदपुर साहिब में गृह संपत्ति और 6 दुकानें हैं।

35. वादी ने स्वयं अपनी वादपत्र में कहा है कि प्रतिवादी सं.1 उसके भाई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में पारिवारिक संपत्तियों के संबंध में वर्ष 1984 में माता-पिता और दादा-दादी के खिलाफ विभाजन और हिसाब देने के लिए *वाद सं. 1937/1984* दायर किया था। उक्त वाद का निपटान कर दिया गया और सि.प्र.सं., 1908 के आदेश XXIII नियम 3 तहत अंतर.आ. सं. 46085/1985 दायर किया गया और निम्नलिखित शर्तों के अनुसार सहमति डिक्री की गई: -

> *" **पैरा 1**:- कि उपरोक्त वाद के पक्षकारगण ने आपस में इस वाद के विषय-वस्तु को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है। इस*

*समझौते के अनुसरण में पक्षकारगण के बीच परिसंपत्तियों/संपत्तियों के विभाजन की एक स्कीम बनाई गई है। वादी को जो हिस्सा दिया जा रहा है वह उसके और उसकी माँ प्रतिवादी सं.4 के लिए है। **इन व्यक्तियों को जो संपत्ति दी जा रही है, वह प्रतिवादी सं. 1 से 3 के परिवार और/या व्यक्तिगत सम्पदा में उनके सभी अधिकारों और हितों के पूर्ण और अंतिम परिनिर्धारण के रूप में है, चाहे वह विरासत, विभाजन और/या अन्यथा हो।** वादी के परिवार का समूह, **जिसमें उसकी बहन अमिता गंडोक भी शामिल है,** जैसा कि ऊपर कहा गया है, अब से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के परिवार में किसी भी चीज़ का दावा या हकदार नहीं होगा और विलोमतः प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के परिवार का भी अमिता गंडोक के किसी भी चीज पर दावा या हकदार नहीं होगा। इन व्यक्तियों ने उपरोक्त रूप में अपने अधिकारों को त्यागने और छोड़ने के प्रमाणस्वरूप के रूप में भी इस आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं।*

पैरा 2: कि वादी की बहन श्रीमती अमिता गंडोक वाद में शामिल संपत्तियों और उत्तराधिकार के रूप में अपने सभी अधिकारों, स्वामित्वों या हितों को छोडती और त्याग करती हैं।

***पैरा 3: कि समझौता और या परिनिर्धारण के तहत निम्नलिखित संपत्तियाँ** प्रतिवादी सं.1 से 3 द्वारा वादी और प्रतिवादी सं.4 को दी जाती हैं और/या उन्हें सौंप दी जाती हैं:-*

***(क). पंची गुजरां में सभी उपभवन आदि समेत कृषि फार्म भूमि,** लगभग 16 एकड़ एक बीघा और पांच बिस्वा है और जो खतौनी संख्या 197 (56/1, 56/10, 56/11), 793 (57/17, 70/4, 71/1), 1056 (57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/14, 57/15, 57/16, 57/24, 57/25), 1000 (56/20, 56/21, 70/5, 70/3) के अंतर्गत **हैं** और और वर्तमान में श्रीमती कुलदीप कौर सोढ़ी के व्यक्तिगत नाम पर स्वामित्व में है। श्रीमती*

कुलदीप कौर ने उक्त भूमि श्री महेश इंदर सिंह को पट्टे पर दी है। यह सहमति हुई है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात उनके पुत्र श्री महेश इंदर सिंह के पक्ष में पट्टा समाप्त हो जाएगा तथा इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने के 2 सप्ताह के भीतर भूमि, फसलें तथा उपभवन आदि का कब्जा ***हरकीरत सिंह सोढ़ी को सौंप दिया जाएगा।*** *हरकीरत सिंह स्वामित्व के प्रासंगिक अभिलेखों में अपने नाम पर भूमि को नामाँतरित करने और अपने स्वामित्व और कब्जे को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी कार्य करने का हकदार होगा। उनके संपत्ति कर निर्धारण के अनुसार इस भूमि का मूल्य 1,50,000/- रुपये हैं।*

(ख). एन-8, ग्रेटर कैलाश भाग 1 *में निर्मित परिसर/घर, 200 वर्ग गज के क्षेत्र में स्थित है, जिसमें एक तहखाने और ढाई मंजिल निर्मित है और वर्तमान में महेश इंदर सिंह सोढ़ी के स्वामित्व में है। इस घर का बड़ा हिस्सा किराए पर है जिसका मासिक किराया 2600/- रुपये हैं। खाली हिस्से का कब्जा वादी को इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने के 2 सप्ताह के भीतर* ***सौंप दिया जाएगा।*** *महेश इंदर सिंह सोढ़ी द्वारा किरायेदार को लिखित रूप में कहा जाएगा कि वह अब से, अर्थात 1.9.85 से वादी को अपना अभिधारी मानेगा और वादी अपने नाम पर संपत्ति को नामाँतरित करने का हकदार होगा। संपत्ति कर निर्धारण के अनुसार एन-8 ग्रेटर कैलाश का मूल्य 2,64,881/- रूपये हैं।*

(ग). आनंदपुर साहिब में दुकान के लिए लगभग 12 X 45 फुट का एक भूखंड है *और वर्तमान में अपने स्वयं के नाम पर श्री हरमन सिंह सोढ़ी के स्वामित्व में है। इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने के 2 सप्ताह के भीतर भूखंड का कब्जा* ***वादी को सौंप दिया जाएगा*** *और वादी को इसके मालिक के रूप में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार होगा। संपत्ति कर निर्धारण के अनुसार इस भूखंड का मूल्य 25,000/- रुपया है।*

(घ). *आनंदपुर साहिब में हवेली/पैतृक परिवार के घर का वह सारा हिस्सा जिसे* ***"हवेली अंदरूनी"*** *के रूप में वर्णित किया गया है और जो श्री हरभजन सिंह सोढ़ी के हिस्से में आया था, जो उनके और उनके छोटे भाई श्री हरअवतार सिंह सोढ़ी के बीच 4.8.45 को हुए बंटवारे में आया था। उसका अधिकार इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने के 2 सप्ताह के भीतर* ***वादी को सौंप दिया जाएगा*** *और वादी संबंधित अभिलेखों में उसके स्वामी के रूप में अपना नाम दर्ज कराने का हकदार होगा। हवेली अंदरूनी के क्षेत्रों का सीमाँकन करने वाली एक कच्चा खाका योजना इसके साथ संलग्न है। योजना में, यह ए से एल अक्षरों से घिरा हुआ है। संपत्ति कर निर्धारण के अनुसार इसका मूल्य 40,000/- रूपये हैं।*

(ङ). *वादी और प्रतिवादी सं.4 को दी गई अचल संपत्तियों के अलावा, जैसा कि इसमें ऊपर बताया गया है, उन्हें प्रतिवादी 1 से 3 द्वारा 1,38,000/- रुपये की राशि भी दी जाएगी। इसमें से 38,000/- रुपये का भुगतान बैंक ड्राफ्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष उस तारीख को किया जाएगा जब इस आवेदन पर आदेश दिया जाएगा और शेष 1,00,000/- रुपये जैसा कि ऊपर बताया गया है, न्यायालय के आदेश की तारीख से दो सप्ताह के भीतर भुगतान किया जाएगा।*

(च). *परिवार के पास अमृतसर में कुछ संपत्तियाँ थीं जो श्री हरभजन सिंह सोढ़ी के नाम पर थीं। इन संपत्तियों का अधिग्रहण सरकार ने बहुत पहले कर लिया था। मूल अधिनिर्णय के तहत प्राप्त इसके मुआवजे का लेखा-जोखा पहले ही परिसंपत्तियों के विभाजन में किया जा चुका है जैसा कि ऊपर दिया गया है। हालांकि, इसके मुआवजे में वृद्धि के लिए एक संदर्भ अभी भी उपयुक्त मंच के समक्ष लंबित है। यदि वृद्धि के रूप में कोई मुआवजा प्राप्त होता है, तो इसे दूसरे भाग के पक्षकारगण /*

वादी, प्रतिवादी सं.4 को इस मामले को आगे बढ़ाने में अन्यथा हुए खर्चों में कटौती करने के बाद इसका 22.25% हिस्सा दिया जाएगा। उपरोक्त के अलावा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो दूसरे भाग के पक्षकारगण / वादी और प्रतिवादी सं.4 के हिस्से में आया हो।"

36. समझौता डिक्री की शर्तों के अवलोकन से यह पता चलता है कि कुछ पैतृक संपत्तियां, जो विभाजन के वर्तमान वाद की भी विषय-वस्तु है, को पिछले *वाद सं.1937/1984* में भी शामिल किया गया था, जिसे 10.09.1985 को डिक्रीत किया गया था। इस प्रकार, इन संपत्तियों का अलग से निपटान करना अनिवार्य होगा, ताकि पहले से ही दिनांक 10.09.1984 के समझौता डिक्री के तहत शामिल संपत्तियों और उन संपत्तियों के संबंध में वाद पोषणीयता का प्रभावी ढंग से विश्लेषण किया जा सके और वे सम्पत्तियाँ जिसका उल्लेख उपरोक्त डिक्री में नहीं मिलता है।

<u>सहमति डिक्री दिनांक 10.09.1985 में शामिल संपत्तियां, *(क्रम सं.(i), (iii), (iv) और (v) - वादपत्र का पैरा 1):*</u>

37. वादी ने जोर देकर कहा है कि *सिविल वाद सं. 1937/1984* एक दुस्संधिपूर्ण वाद था क्योंकि वह उक्त वाद में वह पक्षकार नहीं थी।

38. हालाँकि, वादी प्रतिवादी सं. 1 द्वारा शुरू किए गए *सिविल वाद* के बारे में पूर्णरूपेण अवगत थी, जो इस स्वीकृत तथ्य से स्पष्ट है कि वह समझौते को अभिलेख पर लाने के उक्त सिविल वाद में सि.प्र.सं., 1908 के आदेश 23 नियम

3 के तहत दिनांक 17.08.1985 को दायर आवेदन, *अंतर.आ. सं. 4606/1985* की हस्ताक्षरकर्ता भी थी।

39. उसने अभिवाक की कि आवेदन के अंतिम पृष्ठ पर धोखे और गलत बयानी के द्वारा उसके हस्ताक्षर लिए गए थे, इस बहाने से कि उक्त आवेदन को वादी द्वारा साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था और बिना किसी गड़बड़ी की आशंका के और सद्भाव से, उसने आवेदन की विषय-वस्तु को पढ़े बिना ही उस पर हस्ताक्षर कर दिए।

40. इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय वादी की आयु लगभग 30 वर्ष थी और वह शादीशुदा भी थी। इसके अलावा, दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा होने के नाते, वह एक शिक्षित महिला थीं जो अंग्रेजी भाषा लिख और समझ सकती थीं। इस प्रकार, उसकी अभिवाक, कि उसने विषय-वस्तु को पढ़े बिना हस्ताक्षर किए, मान्य नहीं है क्योंकि एक शिक्षित/बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते, आवेदन पर हस्ताक्षर करने के बाद, वह उसमें निहित विषय-वस्तु के परिणामों से बंधी हुई है।

41. जाहिर है कि न केवल परिनिर्धारण पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, बल्कि समझौता आवेदन का भी वादी/अमिता गंडोक के *शपथ-पत्र* द्वारा विधिवत समर्थन किया गया था, जो दर्शाता है कि वह न केवल वाद के बारे में जानती थी, बल्कि तभी से पक्षकारगण के बीच हुए समझौते के बारे में भी जानती थी

और वाद संपत्तियों में अपने सभी अधिकारों, स्वामित्व या हित को छोड़ने और त्याग करने के परिणामों से अवगत थी।

42. इसके अलावा, उसके स्वयं के प्रकथनों के अनुसार, उसने प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दायर *वसीयती वाद सं. 38/2014* वाली याचिका के अपने जवाब में दावा किया था कि उसके हस्ताक्षर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा धोखे से लिए गए थे। उन्होंने अपने जवाब के पैरा 3 में कहा था कि उस पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा *अधिकार विलेख के औपचारिक त्याग को निष्पादित करने* के लिए दबाव डाला गया और धोखा से राजी किया गया, जिन्होंने अकेले अपने पिता की संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा ले लिया, जिसमें एन-8, एन-ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली में एक पूरी वाणिज्यिक इमारत, पंची गुजरां, हरियाणा में भूमि और आनंदपुर साहिब, पंजाब में पैतृक हवेली का एक हिस्सा शामिल था। हालाँकि, वादी ने वर्तमान वाद में अपनी वादपत्र में एक अभिवाक किया है कि प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी गलती को महसूस करते हुए, वादी संख्या 1 को कभी भी कोई दस्तावेज निष्पादित करने के लिए राजी नहीं किया, जो पूरी तरह से विरोधाभासी है। बल्कि, *वसीयती वाद सं. 38/2014* में उनके अपने जवाब में यह स्वीकारोक्ति झलकती है कि सहमति डिक्री पर कार्रवाई की गई थी और उन्होंने त्याग विलेख भी निष्पादित किए थे, जिन्हें उनके द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई।

43. वादी ने आगे जोर देकर कहा है कि समझौता डिक्री रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया था और इस प्रकार, किसी अरजिस्ट्रीकृत दस्तावेज़ के आधार पर किसी भी अधिकार से वंचित या अलग भी नहीं किया जा सकता है।

44. यह उल्लेख करना उचित है कि यह तर्क इस साधारण कारण से मान्य नहीं है कि *पैराग्राफ 2* में विभाजन के पहले के वाद सं. *1937/1984* में, वादी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसने अपने अधिकारों, वाद संपत्ति में अपने हिस्से के स्वामित्व को छोड़ दिया और त्याग कर दिया है और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तैयार 10.09.1985 की डिक्री को विधिवत स्टांपित करके निष्पादित किया गया था। सि.प्र.सं., 1908 के आदेश XXIII नियम 3 के तहत आवेदन में दर्ज समझौता, जो स्वयं डिक्री का हिस्सा था, विभाजन का एक दस्तावेज था और आगे कुछ भी निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, संपत्ति में उसके हिस्सों के त्याग को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया था और अब वह दावा नहीं कर सकती कि उसके द्वारा कोई आवश्यक दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया था।

45. इसके अतिरिक्त, डिक्री पर 1985 में ही कार्रवाई की गई थी क्योंकि दिनांक 10.09.1985 के सहमति डिक्री के अनुसार नगरपालिका अभिलेखों में संपत्तियों को प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर नामाँकित किया गया था, जो उसे उसमें उल्लिखित संपत्तियों का अनन्य मालिक बनाता है।

46. इस समय ***सि.प्र.सं., 1908 के आदेश XXIII नियम 3*** के तहत पारित किसी भी सहमति आदेश को चुनौती देने की प्रक्रिया को समझना भी उचित हो जाता है।

47. *पुष्पा देवी भगत बनाम राजिंदर सिंह* (2006) 5 एस.सी.सी. 566, के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने आदेश 23 नियम 3 और नियम 3-क के प्रावधानों को उल्लिखित किया और निम्नलिखित शब्दों में निष्कर्ष निकाला:

> *"17. आदेश 23 के संशोधित प्रावधानों से उभरने वाली स्थिति को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:*
>
> *(i) सि.प्र.सं.की धारा 96(3) में निहित विशिष्ट प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए सहमति डिक्री के खिलाफ कोई अपील पोषणीय नहीं है।*
>
> *(ii) नियम 1 आदेश 43 के खंड (ड) को हटाने के मद्देनजर समझौता दर्ज करने (या समझौता दर्ज करने से इनकार करने) के न्यायालय के आदेश के खिलाफ कोई अपील पोषणीय नहीं है।*
>
> *(iii) इस आधार पर समझौता डिक्री को अपास्त करने के लिए कोई स्वतंत्र वाद दायर नहीं किया जा सकता है कि नियम 3-क में निहित प्रतिबंध को देखते हुए समझौता वैध नहीं था।*
>
> *(iv) सहमति डिक्री एक विबंध के रूप में काम करती है और वैध और बाध्यकारी है जब तक कि इसे उस न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया जाता है जिसने नियम 3 आदेश 23 के प्रावधान के तहत आवेदन पर आदेश द्वारा सहमति डिक्री पारित की है।"*

48. इस प्रकार, यह सुस्थापित विधि है कि सहमति डिक्री को चुनौती देने के लिए कोई स्वतंत्र वाद दायर नहीं किया जा सकता है, जैसा कि वादी द्वारा करने की माँग की गई है। इसके अलावा, सहमति डिक्री के खिलाफ कोई अपील स्वीकार्य नहीं है, जो कि *सि.प्र.सं., 1908 के धारा 96(3)* तहत विशेष रूप से वर्जित है। इस प्रकार, सहमति डिक्री से बचने के लिए, पीड़ित पक्ष के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय उसी न्यायालय का रुख करना है जिसने समझौता दर्ज किया था और सि.प्र.सं.*1908 के आदेश XXIII नियम 3क* के तहत उचित आवेदन दायर करके डिक्री दी गई थी जैसा कि *बनवारी लाल बनाम चंदो देवी* (1993) 1 एस.सी.सी. 581, *पुष्पा देवी (पूर्वोक्त), होरिल बनाम केशव* (2012) 5 एस.सी.सी. 525, *आर. राजन्ना बनाम एस.आर. वेंकटस्वामी* (2014) 15 एस.सी.सी. 471, *आर. काकियामल* (पूर्वोक्त) और हाल ही में *श्री सूर्या डेवलपर्स* (पूर्वोक्त) जैसे अनेकों मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है।

49. भले ही वादी की सभी दलीलें स्वीकार की गई हो कि समझौता डिक्री पर उसके हस्ताक्षर धोखे और गलत तरीके से लिए गए थे, और उसे वाद संपत्तियों में अपने सभी हितों को छोड़ने के लिए कहा गया था, वह अपनी प्रस्तुतियों के अनुसार इन कथित तथ्यों से बहुत पहले 2014 में ही अवगत हो गई थी, जब उसके भाई ने *वसीयती वाद सं. 38/2014* दायर किया था।

50. हालाँकि, आज तक उन्होंने सहमति डिक्री को धोखाधड़ी का आरोप लगाकर चुनौती देने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है या अपने विधिक

उपायों का उपयोग नहीं किया है, न ही उन्होंने उन नामांतरण को चुनौती दी है जो पहले से ही प्रतिवादी सं.1 के नाम पर प्रभावित हो चुके हैं।

51. उन्होंने जो एकमात्र कदम उठाया है, वह है 10.09.1085 के सहमति डिक्री को चुनौती देने का प्रयास, और *लगभग 31* वर्षों के बाद 2017 में वर्तमान वाद दायर किया गया है, जो न केवल विधि के अनुसार गलत उपाय है, बल्कि स्पष्ट रूप से समय-वर्जित भी है।

52. ***परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 27*** के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति पर कब्जे के लिए वाद संस्थित करने के लिए सीमित अवधि के निर्धारण पर, ऐसी संपत्ति पर उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार, किसी संपत्ति पर कब्जे की माँग करने वाला वाद *परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 27* के आधार पर दूसरे के स्वामित्व के पूर्ण हो जाने के बाद दायर नहीं किया जा सकता है, 1963 जैसा कि *बैलोचन करण बनाम बसंत कुमार नाइक और अन्य* (1999) 2 एस.सी.सी. 310 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया था।

53. इसी तरह, *लता चौहान बनाम एल.एस. बिष्ट और अन्य* 2010 (117) डी.आर.जे. 715, के मामले में इस न्यायालय ने टिप्पणी किया था कि जहां वादी घोषणा की उचित राहत की माँग करने या वैकल्पिक रूप से रजिस्ट्रीकृत पट्टा विलेख को रद्द करने में विफल रहा है, तो ऐसी राहत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इस संबंध में ***अनुच्छेद 58 और 59*** द्वारा निर्धारित परिसीमा-काल

आदेश करती है कि ऐसी घोषणा के संबंध में वाद संस्थित, वाद हेतुक उत्पन्न होने के बाद तीन साल के भीतर की जानी है।

54. *परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 27* के अनुसार, भले ही वादी के पास नामांतरण कार्यवाही को चुनौती देने के लिए भी कोई वाद हेतुक था, वह अब 31 वर्षों के बाद समाप्त हो गई है।

55. *अनीता आनंद बनाम गार्गी कपूर*, 2018 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल्. 11372 में, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने टिप्पणी किया था कि वादी तब तक विभाजन का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह उपहार विलेख को चुनौती नहीं देता है। विभाजन से राहत उपहार विलेख की घोषणा के अवैध होने के परिणामस्वरूप होगी। इसी तरह, *रामती देवी (पूर्वोक्त)* में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब तक न्यायालय द्वारा उचित घोषणा द्वारा वैध रूप से निष्पादित और रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज़ को रद्द नहीं किया जाता है, तब तक उक्त दस्तावेज़ वैध रहता है और पक्षकारगण के लिए बाध्यकारी है।

56. *संगीता सहगल बनाम गौतम देव सूद*, 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल्. 2685, उपहार विलेख को रद्द करने के संबंध में कोई राहत माँगे बिना विभाजन से राहत पाने के लिए वाद दायर किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि भले ही वादी ने उपहार विलेख की प्रामाणिकता और अस्तित्व पर सवाल उठाया हो या कि वादी की माँ को वाद संपत्ति दान में देने का अधिकार नहीं है, ऐसा उक्त उपहार विलेख को रद्द करने की घोषणा की माँग करके किया जा

सकता था। जब तक, न्यायालय द्वारा उक्त उपहार विलेख को अमान्य या गैरकानूनी घोषित नहीं किया जाता है, वे वैध रहते हैं और पक्षकारगण पर बाध्यकारी होते हैं।

57. *संजय रॉय बनाम संदीप सोनी,* 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल्. 1525 में इस न्यायालय की खंड पीठ ने परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 27 के संबंध में इसी विचार को दोहराया और अभिनिर्धारित किया कि परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 59 के तहत परिसीमा की निर्धारित अवधि के भीतर किसी पक्षकार के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत हस्तांतरण विलेख को कोई चुनौती नहीं मिलने पर संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व अधिकार उसके पक्ष में निहित होंगे।

58. इसलिए, उपरोक्त विवेचित निर्णयों से, यह स्पष्ट है कि वादी दिनांक 10.09.1985 सहमति डिक्री को चुनौती देने में विफल रहा है, जिसने अंतिमता प्राप्त कर ली है और उस पर कार्रवाई भी की गई है। पक्षकारगण के अधिकार स्पष्ट हैं और उन्हें 31 वर्षों के बाद वर्तमान वाद के द्वारा पुनः नहीं खोला जा सकता है। प्रतिवादी सं.1/हरकीरत ने अपने नाम पर संपत्ति का नामांतरण करा लिया है और उक्त संपत्ति के मालिक के रूप में कार्य कर रहा है और वादी इस वर्तमान वाद के द्वारा प्रतिवादी सं.1 के पहले से परिभाषित हिस्से को पलट नहीं सकता है।

59. इसलिए, यह अभिप्रेक्षित किया गया है कि पैतृक संपत्तियाँ, अर्थात् -

*क) **क्रम सं.(i)** संपत्ति सं. एन-8, ग्रेटर कैलाश भाग-1, नई दिल्ली-110048, क्षेत्रफल 200 वर्ग गज;*

*ख) **क्रम सं. (iii)** संपत्ति सं. ए-22, नेब सराय, नेब वैली, नई दिल्ली-110068, जिसे प्रतिवादी स. 1 ने पुंछी गुजरा, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत (हरियाणा) में 16 एकड़, 1 बीघा 5 बिस्वा, जो खतौनी सं. 197(56/1, 56/10, 56/11) खतौनी सं. 793(56/17, 70/4, 71/1), खतौनी सं. 1056(57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/14, 57/15, 57/16, 57/24, 57/25), खतौनी सं. 1000(56/20, 56/21, 70/5, 70/3) के अंतर्गत आती है, उस भूमि की विक्रय आगम से खरीदा है;*

*ग) **क्रम सं. (iv)** आनंदपुर साहिब में हवेली "अंदरूनी";*

*घ) **क्रम सं. (v)** आनंदपुर साहिब में भूखंड,*

ये दिनांक 10.09.1985 के सहमति डिक्री के आधार पर पहले से ही विभाजित/निर्निहित किए जा चुके हैं और इसलिए, इन संपत्तियों के संबंध में वर्तमान वाद पोषणीय नहीं है।

<u>दिनांक 10.09.1985 के सहमति डिक्री के अंतर्गत शामिल न होने वाली संपत्तियां (क्रमाँक (ii), (vi), (vii) और (iv) का शेष भाग - वादपत्र का पैरा 1))</u>

60. वादी ने कुछ पैतृक पारिवारिक संपत्तियों के विभाजन की भी माँग की है, जिसका उल्लेख दिनांक 10.09.1985 के सहमति डिक्री में नहीं है और जो विभाजन के लिए पहले के वाद सं. 1937/1984 का हिस्सा नहीं था, अर्थात्;

क) क्रम सं. (ii) *संपत्ति सं. ई-2, ईस्ट of कैलाश, नई दिल्ली-110065, क्षेत्रफल 500 वर्ग गज,*

ख) क्रम सं. (iv) *आनंदपुर साहिब में संपत्ति (हवेली, दुकानें, भवन) (हवेली अंदरूनी को छोड़कर)*

ग) क्रम सं. (vi) *लोधीपुर, आनंदपुर, चक में कृषि भूमि; और*

घ) क्रम सं. (vii) *आनंदपुर साहिब में गृह संपत्ति और 6 दुकानें।*

61. वादी यह समझाने में विफल रहा है कि उपरोक्त संपत्तियां किसके नाम पर हैं। उसने अपनी वादपत्र के पैरा 10 में स्पष्ट प्रकथन किया है कि वह वाद संपत्तियों की सहस्वामी है और इन वाद संपत्तियों के संबंध में उसके स्वामित्व/हिस्से के तथ्य को उसकी माँ (प्रतिवादी सं.2) और वादी के भाई (प्रतिवादी सं.1) ने पिछले दायर वाद सं. 1937/1984 अपने अभिवचनों में स्वीकार किया था। यह उनका स्वीकार्य मामला था कि सभी सहस्वामी/परिवार के सदस्य पारिवारिक संपत्तियों के कब्जेदार थे और माने जाएंगे। हालांकि, यह पता चला है कि 1984 में दायर विभाजन के वाद में उपरोक्त संपत्तियां शामिल नहीं थीं, इसलिए इन संपत्तियों के संबंध में कोई स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती थी।

62. इसके अलावा, उन्होंने यह नहीं बताया कि इसका मालिक कौन है या इन संपत्तियों का वर्णन या विवरण क्या है। इस संबंध में अभिवाक पूरी तरह से मौन हैं और विनिर्देशों/विवरणों और विशिष्ट अभिवचनों के अभाव में, यह

निर्धारित करना असंभव होगा कि वादी का उपरोक्त संपत्तियों में कोई अधिकार/हित/हिस्सा है या नहीं।

63. अभिवचनों का मुख्य उद्देश्य विवाद के बिंदु और वाद हेतुक को स्पष्ट रूप से रेखांकित करना है। "संक्षिप्तता का नियम", अभिवचनों को संक्षिप्त, स्पष्ट और उस व्याख्या तक सीमित रखने के लिए कहता है जिसे अभिवक्ता व्यक्त करना चाहता है। अभिवचन न केवल संक्षिप्त होना चाहिए, बल्कि इसे स्पष्ट, सटीक और निश्चित होने की भी आवश्यकता है और वादपत्र में वर्णित विवरण ***सि.प्र.सं., 1908 के आदेश VI नियम 4*** के अनुरूप होने चाहिए, जो तिथियों और मदों के साथ और अभिवचनों में इसके संक्षिप्त समावेश का आदेश देता है, विशेष रूप से उन मामलों में जिसमें ऐसे विवरण आवश्यक होंगे।

64. *सनी (नाबालिग) एवं अन्य बनाम राज सिंह एवं अन्य* (2015) 225 डी.एल.टी. 211 में यह स्पष्ट किया गया है कि सि.प्र.सं., 1908 का आदेश VI का नियम यह प्रावधान करता है कि वाद हेतुक के सभी आवश्यक तथ्यात्मक विवरणों के साथ-साथ विभाजित की जाने वाली संपत्तियों के सटीक विवरण और विस्तृत सूचना स्पष्ट रूप से बताए जाने चाहिए। इसी तरह *सुरेंद्र कुमार बनाम धनी राम और अन्य* 2016 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल्. 333 में पूरे उपरोक्त कानून का संदर्भ देने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि एच.यू.एफ. और उसकी संपत्तियों को अस्तित्व में आने के लिए *आयकर आयुक्त, कानपुर एवं अन्य बनाम चंदर सेन एवं अन्य* (1986) 3 एस.सी.सी. 567 और *युधिष्ठिर*

बनाम अशोक कुमार (1987) 1 एस.सी.सी. 204 में उच्चतम न्यायालय के *सि.प्र.सं., 1908 के आदेश VI नियम 4* के निबंधनानुसार निर्णयों के अनुसार पहले उसके अस्तित्व का दावा किया जाना चाहिए। इस प्रकार, केवल ऐसी परिस्थितियों में, जहाँ एच.यू.एफ. और उसकी संपत्तियों के अस्तित्व के बारे में विशिष्ट तथ्यों का उल्लेख किया गया हो, तभी एच.यू.एफ. संपत्तियों के विभाजन के लिए सहदायिकी होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा वाद दायर किया जा सकता है। यह भी दोहराया गया कि वादपत्र में केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि एक अविभक्त कुटुंब या एच.यू.एफ. मौजूद था। *सि.प्र.सं.के आदेश VI नियम 4* के अनुसार विस्तृत तथ्य कि कब और कैसे एच.यू.एफ. संपत्तियाँ ऐसी बनी, स्पष्ट रूप से प्रकथित किए जाने चाहिए। ऐसे प्रकथन एच.यू.एफ. संपत्ति होने का दावा करने वाली प्रत्येक संपत्ति के बारे में तथ्यात्मक संदर्भ द्वारा किए जाने चाहिए कि वह एच.यू.एफ. संपत्ति कैसे बनी। विधि में, आम तौर पर किसी भी और प्रत्येक संपत्ति को एच.यू.एफ. के रूप में लाना गलत है क्योंकि वादियों की यह ज्ञात प्रवृत्ति है कि वे अनावश्यक रूप से कई संपत्तियों को एच.यू.एफ. होने का दावा करते हुए शामिल करते हैं।

65. ***इस प्रकार, वर्तमान मामले में, किसी भी अभिवचनों के अभाव में, इन संपत्तियों के स्वामित्व का खुलासा करते हुए, जो दिनांक 10.09.1985 की सहमति डिक्री के तहत शामिल नहीं थे और किसी भी स्वामित्व दस्तावेज की***

अभाव में, वादपत्र इन संपत्तियों के संबंध में पूरी तरह से अस्पष्ट है और इसलिए, इसे एकमात्र इसी आधार प्रारंभ में ही यह खारिज किए जाने योग्य है।

66. उपरोक्त परिदृश्य के आलोक में, वर्तमान मामले में उत्तराधिकार के तरीके और हिस्सों/अधिकारों के हस्तांतरण का पता लगाने के लिए संपत्ति की प्रकृति के *मौलिक पहलू* को निर्धारित करने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की स्कीम और रूपरेखा के साथ-साथ हाल के घटनाक्रमों की विवेचन करना भी प्रासंगिक हो जाता है।

67. *सनी (नाबालिग)* (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय ने *युधिष्ठिर* (पूर्वोक्त) और *आयुक्त संपत्ति कर, कानपुर* (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय के फैसलों पर विचार किया, और एच.यू.एफ. संपत्ति/स्व-अर्जित संपत्ति और इसके उत्तराधिकार से संबंधित सिद्धांतों को संक्षेप में नीचे प्रगणित किया हैः

> *"(i) यदि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 पारित होने के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय कोई एच.यू.एफ. मौजूद नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की अचल संपत्ति का उत्तराधिकारी निस्संदेह 'पैतृक' संपत्ति का हित-उत्तराधिकारी है,* ***लेकिन विरासत उत्तराधिकारी के हाथों में स्व-अर्जित संपत्ति के रूप में है न कि किसी एच.यू.एफ. संपत्ति के रूप में, हालांकि उत्तराधिकारी (यों) को*** *वास्तव में "पैतृक" संपत्ति यानी अपने पैतृक पूर्वज की संपत्ति विरासत में मिलती है।*

(ii) 1956 के बाद (और जब 1956 से पहले संयुक्त हिंदू परिवार मौजूद नहीं था) हिंदू अविभाजित परिवार/ अविभक्त हिंदू कुटुंब के अस्तित्व में आने का एकमात्र तरीका यह है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति को एक साझा समूह में डाल दिया जाए। इसके अलावा, एक बार जब किसी संपत्ति को एक साझा समूह में डाल दिया जाता है, तो यह आवश्यक है कि पहली बार किसी संपत्ति को एक साझा समूह में डाल कर एच.यू.एफ. के निर्माण की विशिष्ट तिथि/माह/वर्ष आदि का सटीक विवरण स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाए और यह आवश्यकता सि.प्र.सं. के आदेश VI नियम 4 के कारण विधिक आवश्यकता है जो यह प्रावधान करती है कि वाद हेतुक के सभी आवश्यक तथ्यात्मक विवरण स्पष्ट रूप से बताए जाने चाहिए। इस प्रकार, यदि कोई एच.यू.एफ. संपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा स्व-अर्जित संपत्ति को साझा समूह में डाल कर इस तरह के निर्माण के कारण मौजूद है, तो परिणामस्वरूप सहदायिक आदि को ऐसी एच.यू.एफ. संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार है।

(iii) एच.यू.एफ. तब भी मौजूद हो सकता है, यदि पैतृक संपत्तियां 1956 से पहले विरासत में मिली हों, और पैतृक पूर्वजों से 1956 से पहले विरासत में मिली संपत्तियों के संबंध में संपत्तियों के पक्षकारगण की ऐसी स्थिति 1956 के बाद भी जारी रही हो। एक बार यदि वह स्थिति और अवस्थिति 1956 के बाद भी जारी रहती है; तो एच.यू.एफ. और उसकी मौजूदा संपत्तियों में से; सहदायिक आदि को संपत्तियों का विभाजन माँगने का अधिकार होगा।

(iv) 1956 से पहले भी, एच.यू.एफ. पैतृक पूर्वजों से पैतृक सम्पत्ति की विरासत के बिना भी अस्तित्व में आ सकता है, क्योंकि एच.यू.एफ. को 1956 से पहले व्यक्तिगत संपत्ति को एक साझा समूह में डाल कर बनाया जा सकता था। यदि ऐसा एच.यू.एफ. 1956 के बाद भी जारी रहता है, तो ऐसे मामले में एच.यू.एफ. का सहदायिक आदि एच.यू.एफ. संपत्ति के विभाजन का हकदार था।"

68. अतएव, यह सामने आता है कि ***1956 से पहले के काल*** में जब पारंपरिक हिंदू प्रचलित था, एच.यू.एफ. संपत्तियों के साथ सहदायिक, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के पारित होने से पहले अस्तित्व में आई और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के पारित होने के बाद भी जारी रही, तब एच.यू.एफ. से संबंधित संपत्ति सहदायिकों के हाथों में एच.यू.एफ. संपत्ति होगी क्योंकि अविभक्त हिंदू कुटुंब/एच.यू.एफ. संपत्तियों का दर्जा जारी है।

69. जबकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के पारित होने से पहले एच.यू.एफ. और उसकी संपत्तियों के अस्तित्व के बारे में तीन पीढ़ियों तक की उपधारणा थी, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के पारित होने के बाद *चंद्र सेन* (पूर्वोक्त) और *युधिष्ठिर* (पूर्वोक्त) के मामलों के अनुपात को देखते हुए, ऐसी कोई उपधारणा नहीं है कि पैतृक सम्पत्ति का उत्तराधिकार एच.यू.एफ. बनाती है।

70. इस प्रकार, ***1956 के बाद,*** एच.यू.एफ. केवल तभी बनाया जाता है जब एच.यू.एफ. स्पष्ट रूप से बनाया गया हो और किसी व्यक्ति के पास मौजूद संपत्तियों/स्व-अर्जित संपत्ति को स्पष्ट रूप से एक साझा समूह में डाल दिया गया हो, जिसका आशय उन्हें एच.यू.एफ. संपत्ति बनाना हो।

71. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने के बाद 1956 के बाद संपत्तियों को एच.यू.एफ. होने का दावा करने के लिए, इस बात के तथ्य कि संपत्तियां एच.यू.एफ. संपत्तियां कैसे हैं, वादपत्र में स्पष्ट रूप से बताए जाने की आवश्यकता है। यह विशेष रूप से अभिवाक किया जाना चाहिए कि इन विशेष संपत्तियों को कब साझा समूह में डाल गया था और इसलिए, हिंदू अविभक्त कुटुंब बनाया गया था। केवल इन मामलों में हस्तांतरण उत्तरजीविता के नियमों के अनुसार होगा, क्योंकि प्रत्येक सहदायिकी एच.यू.एफ. संपत्तियों में जन्म से ही अधिकार प्राप्त करता है।

72. स्वयंसिद्ध रूप से, वर्तमान मामले में, पूरी वादपत्र में न तो एच.यू.एफ. बनाने या संपत्तियों और परिसंपत्तियों को एच.यू.एफ. को साझा समूह में रखे जाने के संबंध में कोई प्रकथन करती है। इस आशय का कोई अभिवाक नहीं है कि कभी भी कोई सहदायिकी थी और इसलिए, 1956 के बाद कोई स्वतःप्रवृत्त निरंतरता नहीं हो सकती है।

73. वादी का सबसे अच्छा मामला *पैतृक पारिवारिक संपत्ति* का है, जो एच.यू.एफ. से अलग अवधारणा है। यह केवल दावा किया गया है कि संपत्तियाँ

पैतृक पारिवारिक संपत्तियाँ हैं और इस प्रकार, वादी सभी संपत्तियों में हिस्से की हकदार है। जैसा कि पहले ही ऊपर विवेचित की गई है, ऐसा अस्पष्ट दावा जिसमें बुनियादी तथ्यों का भी अभाव है, वाद के पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है, जैसा कि *सनी (नाबालिग)* (पूर्वोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है।

74. इसके अलावा, भले ही अविभक्त कुटुंब मौजूद हो, वादी को पैतृक पारिवारिक संपत्तियों में अधिकार नहीं मिलता है। वादी ने अपने पिता द्वारा विरासत में मिली संपत्ति में हिस्से का दावा किया है, जो भले ही उसके पिता या अविभक्त कुटुंब निधियों से आयी हो, लेकिन संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (2005 में संशोधित) की धारा 6 और 8 के आधार पर, यह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है जो ***हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8*** के तहत उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार हस्तांतरित होती है। वादी अपने अपने पिता के जीवनकाल में संपत्तियों में हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकती है। वादी प्रतिवादी सं.2 की स्व-अर्जित संपत्तियों में उत्तराधिकार द्वारा अधिकार (यदि कोई हो) का दावा केवल उसके निधन के बाद, उसके वर्ग 1 उत्तराधिकारी के रूप में कर सकती है।

75. ***इस प्रकार भी, वादपत्र पोषणीय नहीं है क्योंकि यह किसी भी वाद हेतुक का खुलासा नहीं करती है, अर्थात् (ii) संपत्ति सं. ई-2, ईस्ट ऑफ़ कैलाश, नई दिल्ली-110065, क्षेत्रफल 500 वर्ग गज; (iv) आनंदपुर साहिब में संपत्ति (हवेली, दुकानें,***

भवन) (हवेली अंदरूनी को छोड़कर); (vi) लोधीपुर, आनंदपुर, चक में कृषि भूमि; और (vii) आनंदपुर साहिब में गृह संपत्ति और 6 दुकानें भी।

<u>निष्कर्ष:</u>

76. इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दिनांक 10.09.1985 की सहमति डिक्री के तहत आने वाली संपत्तियों के पक्षकारगण के अधिकार स्पष्ट हैं और वर्तमान वाद उन संपत्तियों के खिलाफ पोषणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त, वादपत्र में उन संपत्तियों के विवरण और ब्यौरा नहीं हैं जो सहमति डिक्री के तहत शामिल नहीं हैं क्योंकि किसी भी एच.यू.एफ. में उसके होने का कोई अभिवाक नहीं है, और न ही कोई विशिष्ट विवरण है कि संपत्ति पैतृक संपत्ति है। इसके अलावा, यदि संपत्तियां प्रतिवादी सं.2/पिता को उसके पिता से हस्तांतरित की गई है, तो भी वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 और 8 के अनुसार हस्तांतरित की जाएगी और इस प्रकार, वादी द्वारा पिता/प्रतिवादी सं.2 की संपत्तियों में उनके जीवनकाल में किसी भी अधिकार/हिस्से का दावा नहीं किया जा सकता है।

77. ***इस प्रकार, वादपत्र वाद संपत्तियों के खिलाफ किसी भी वाद हेतुक का खुलासा नहीं करती है और इसलिए, सि.प्र.सं.1908 के आदेश VII नियम 11, के तहत आवेदन की अनुमति दी जाती है और वाद को खारिज किया जाता है।***

<u>सि.वा. (मू.प.) 90/2017</u>

78. वाद *सि.प्र.सं., 1908* के *आदेश VII नियम 11 के* तहत लंबित आवेदन(नों) के साथ, यदि कोई हो, खारिज किया जाता है।

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायाधीश

7 मई, 2024
वी.ए./आर.एस./पी.टी.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में* निर्णय *का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*